न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 33/2013 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2013/00015

1. सुखी पत्नी अर्जुन सिंह पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी चक 3 डी.ओ.एल तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर। (मृतका)

1/1 अर्जुन सिंह पति 1/2 धूडी कंवर पुत्री 1/3 भंवर सिंह पुत्र 1/4 किशोर सिंह पुत्र 1/5 छोटू कंवर पुत्री 1/6 मोहनी कंवर पुत्री 1/7 भोपाल सिंह पुत्र 1/8 सीता कंवर पुत्री 1/9 पुष्पा कंवर पुत्री	पिसरान सुखी पत्नी अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी चक 3 डी.ओ. एल तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

2. तुलछा बाई पुत्री भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी चक 3 डीआएल तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. नाथी बाई पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी चक 3 डी.ओ.एल तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सचिव, राजस्थान भू–दान यज्ञ बोर्ड धामाई जी की हवेली हवा बाजार, जयपुर।
3. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, छत्तरगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक अपीलांट्स

निर्णय

दिनांक 14.02.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 03.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1– वादग्रस्त कृषि भूमि चक 3 डी.ओ.एल राजस्व तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर के मुरब्बा नंबर 126/30 की 6 बीघा, 126/22 की 15 बीघा एवं 126/14 की 4 बीघा कुल 25 बीघा भूमि भैरू सिंह पुत्र नाहरसिंह को भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा आवंटित हुई। भैरू सिंह पुत्र नाहरसिंह की मृत्यु के पश्चात जरिये विरास्तान इन्तकाल संख्या 1 दिनांक 03.10.2001 द्वारा नाथीबाई, सुखीबाई एवं तुलछाबाई पुत्रीयां भैरूसिंह के नाम दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल के बाद से अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल 01 दिनांक 03.10.2001 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ जिला बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ ने दिनांक 03.04.2013 को रेस्पोडेन्ट्स की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए इंतकाल संख्या 1 दिनांक 03.10.2001 को निरस्त करते हुए तहसीलदार छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट से संबंधित हक त्याग के मूल दस्तावेज तलब कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 03.04.2013 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने अपनी बहस में कथन किया है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि भैरू सिंह पुत्र नाहरसिंह को भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा आवंटित हुई। भैरू सिंह पुत्र नाहरसिंह की मृत्यु के पश्चात जरिये विरास्तान इन्तकाल संख्या 1 दिनांक 03.10.2001 द्वारा नाथीबाई, सुखीबाई एवं तुलछाबाई पुत्रियां भैरूसिंह के नाम दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल के बाद से अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय जैर अपील आदेश करने से पूर्व शपथ–पत्र के आधार अपीलांटस का हक छोड़ने की कहानी बनाई जो कानून विरूद्व है। हक केवल मात्र रिलीफ डीड के आधार पर ही छोड़े जा सकते है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 को भैरू सिंह पुत्र नाहरसिंह ने जीवनकाल में किसी भी प्रकार कोई वसीयत नही लिखी गई थी। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा जो शपथ–पत्र बताया गया है वह झुठा व कुट रचित है। शपथ–पत्र के आधार पर किसी के अधिकार तय नहीं होते है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिता तीनों पुत्रियों से स्नेह रखते थे। तीन पुत्रिया ही अपने पिता की सेवा चाकरी करती थी। अतः

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04.2013 निरस्त फरमाया जावे।

3– रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के निमित्त सम्मन एवं पुनः रजिस्टर्ड सम्मन जारी होने के बावजूद भी इनकी और से कोई उपस्थित नही होने पर रेस्पोडेन्ट्स 1 व 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि चक 3 डी.ओ. एल के मुरब्बा नंबर 126/30 की 6 बीघा, 126/22 की 15 बीघा एवं 126/14 की 4 बीघा कुल 25 बीघा भैरू सिंह पुत्र नाहरसिंह को भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा आवंटित थी। भैरू सिंह को अपनी तीनों पुत्रियों से बराबर स्नेह रखते थे। तीनों पुत्रिया ही अपने पिता की सेवा चाकरी करती थी। भैरू सिंह ने रेस्पोडेंट्स संख्या 1 के पक्ष में अपने जीवनकाल में किसी भी प्रकार की कोई वसीयत नही लिखी थी। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ जिला बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2013 उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04.2013 निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर